



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092022-238936
CG-DL-E-20092022-238936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4180]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944

No. 4180]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2022

का.आ. 4364(अ).—वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की दिनांक 2.3.2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 931(अ) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 4 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अंतर्गत आस्ति पुनर्गठन कंपनी की अपीलों की सुनवाई और निपटान करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम से संबंधित कार्य का संचालन करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी को नामोदिष्ट करती है। इसे आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[फा. सं. 31/52/2019-डीआरटी]

सुभाषचन्द्र अमीन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2022

S.O. 4364(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section 2 of Section 4 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002, and in supersession of the notification of the Government of India number S.O. 931 (E) dated 2.3.2020, the Central Government hereby designates Joint Secretary or equivalent officer in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, handling the work related to aforesaid Act, to hear and dispose of Appeals of an Asset Reconstruction Company under the provisions of Sub Section (2) of Section 4 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002). This is published for general information.

[F. No. 31/52/2019 –DRT]

SUBHASHCHANDRA AMIN, Under Secy.